न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक– /2012/निगरानी

1. श्रीमती स्वरूपी पत्नी कोमल खंगार
2. फूल सिंह
3. भागीरथ पुत्रगण बिन्दा खंगार
4. रमेश
5. प्राण सिंह
6. बाबूलाल पुत्रगण पन्नी खंगार
7. मंगल
8. महेश
9. जसवंत पुत्रगण खलग सिंह खंगार
   समस्त व्यवसाय–कृषि, समस्त निवासीगण राजौर (महुआखेड़ा) तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

– निगरानीकर्तागण

बनाम

1. श्रीराम पुत्र हरगोविन्द
2. गोपाल पुत्र हरगोविन्द खंगार
   निवासीगण ग्राम मामौनीकला, तहसील करैरा जिला शिवपुरी (म0प्र0)
3. श्रीमती मीरा उर्फ मीना पुत्री हरगोविन्द पत्नी बल्लू खंगार, निवासी–ग्राम कुम्हरौआ, तहसील करैरा जिला शिवपुरी (म0प्र0)

– प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता 1959 विरूद्ध माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान एस.डी.ओ. महोदय पिछोर के प्रकरण कमांक 54/11–12 अपील माल श्रीराम आदि बनाम स्वरूपी आदि में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.11.2012 से परिवेदित होकर निगरानी श्रीमान जी के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत है।

श्रीमान जी,

उपरोक्त प्रकरण में निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

कमशः...............2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4036-दो/12 **जिला** - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 12.06.2019 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **कलेक्टर जिला शिवपुरी**	